


तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दिलीपसिंह पुत्र रतनसिंह राठौड़ दीपभवन सैली माता मन्दिर देसूरी जिला पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, देसूरी प्रथम सूचना अपील संख्या :- 58/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/212 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4-2-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 05.07.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, देसूरी से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, देसूरी ने जरिये पत्रांक/राजस्व/2021/150 दिनांक 12.11.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचना की विशिष्टियों का अंकन नहीं किया गया है। सूचना को ढूँढकर दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) का उल्लंघन है। इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं दी जा सकती है। उक्त पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित करते हुए अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, देसूरी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। 	



नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली